R 51/9 5784/96 (6)

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

00DD 300917

:: विक्रय-पत्र ::

मन कि हीरेन्द्र कुमार शुक्ल पुत्र श्री जी0 पी0 शुक्ल निवासी: मकान नं0 11 हा0 सूजा रोड, शहर लखनऊ का हूँ।

जो कि भूमि गाटा संख्या : 1686 रकबा - 6-4-4 (छः बीघा चार बिस्वा चार बिस्वांसी) स्थित ग्राम उत्तरगाँव, परगना निगोहाँ, तहसील मोहनलाल गंज, लखनऊ (जिनके पुराने नम्बर-

-2

[illegible] कोषागार, लखनऊ

12-4-96

25000/- स्टाम्प

अम्बिका मिश्रा

[illegible]

ISSUED FROM
LUCKNOW TREASURY
12 APR 1996

कै० 4,00,000/- मा० 6,00,660/-

शु.रजि. 5000/- +10/- +10/- = 5020/-

WA 500

[illegible] हरिन्द्र कुमार शुक्ला [illegible] जी०पी० शुक्ल

[illegible] निवासी म.न. [illegible] सूजा रोड

लखनऊ [illegible] लखनऊ [illegible]

[illegible] 15/4/96 1211

[illegible]

15/4/96

[illegible] हरिन्द्र कुमार शुक्ला [illegible] ने

रुपये पलेखानुसार [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] स्वीकार किया।

[illegible] इन्दर [illegible] टिकरासानी प्रधान आ.गाँव त. मो०

[illegible] गंगा प्रसाद [illegible] प्रधान [illegible]

[illegible] विष्णुगोपाल मिश्रा [illegible] मोहनलालगंज

[illegible] मुंशी [illegible]

15/4/96

इन्दर प्र.मा०

विष्णु गोपाल मिश्र

[illegible]

[illegible]

15/4/96

00DD 300918

1632/1-11-0, 1633/1-9-0, 1634/1-10-7, 1635/0-9-15, 1636/1-0-18-18, 1637/1 रकबा 0-5-4) का मालिक कामिल व काबिज है । उपरोक्त भूमि इस समय तक हर प्रकार के विवादों, अदालती झगड़ों से पूर्णतया बरी पाक व साफ है और कहीं रेहन, बय, हिबा आदि नहीं है । चूँकि मुझ को रूपयों की आवश्यकता है अत: मैं खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के अपने उपरोक्त भूमि नंबरी , पैमायसी वाके उपरोक्त को बिना किसीअधिकारों को शेष रखे मु04,00,000/=रूपया(चार लाख रूपया) जिसके आधे मुवल्गि:2,00,000/= रूपया (दो लाख रूपया) होते है मैं बदस्त श्री अम्बिका मिश्र पुत्र श्री बी0सी0मिश्र व मृणालिनी पाण्डेय पत्नी श्री आर0 के0 पाण्डेय निवासी गण उत्तरगांव परगना निगोहां त0 मोहन लाल गंज लखनऊ को बय फरोख्त कतई किया यानी बेच डाला और कुल विक्रय मूल्य क्रेतागण उपरोक्त से वसूल पा लिया है जिसकी प्राप्ति मैं स्वी कार करता हूँ और विक्री शु दा भूमि पर आज की तिथि से कब्जा व दखल मालिकाना क्रेतागण उपरोक्त का बखूबी करा दिया । अब विक्री शु दा भूमि उपरोक्त से मेरा व मेरे वारिसानों का कोई हक व हिस्सा व दावा आदि बाकी नहीं रहा, न ही विक्रय मूल्य ही प्राप्त करना बाकी रहा, यदि कोई व्यक्ति विक्रय शु दा भूमि

[signatures]

लखनऊ

दि० 12-4-96

मू० 25000/- जनरल स्टाम्प

नाम अम्बिका मिश्रा

द्वारा

खलि० Hmy

ISSUED FROM
LUCKNOW TREASURY

12 APR 1996

Luck…

00DD 300919

के बाबत अपना हक व हिस्सा व दावा आदि जाहिर करे तो वह नाजायज व बातिल होवे । और अगर बदावेदारी व हकदारी व उज्रदारी किसी सख्श के जायदाद विक्री शुदा के बाबत निकले अथवा विक्री शुदा भूमि पर कब्जा क्रेता कोन मिल सके अथवा स्वामित्व की त्रुटि के कारण विक्रीशुदा भूमि का कुल या जुज भाग भविष्य में क्रेतागण के कब्जे से निकल जावे अथवा कहीं रेहन, बय, हिबा आदि पाया जावे या किसी अन्य प्रकार से विवादित या भारग्रसित पायी जावे तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता गण उपरोक्त को यह हक व अधिकार हासिल होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा व नुकसान सब मुझ विक्रेता, मेरेवारिसान, उत्तराधिकारियों तथा मेरी दीगर जायदाद चल व अचल से वसूलकर ले, कोई आपत्ति न होगी। उक्त भूमिविक्रीशुदा क्रेतागण सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल खारिज करा लेवे। विक्रेता एवं क्रेता गण अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है । उपरोक्त विक्री शुदा भूमि नगर निगम लखनऊ की सीमा से बाहर है अतः नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों से परे हैं । आकारपत्र 41 के अनुसार उपरोक्त भूमि संख्या 1632, 1633, 1634, 1635 गोयड़ आबी में स्थित है जिसकी मालियत 36000/=प्रति

-4

रा.क. [illegible], लखनऊ
दिनांक 12-4-86
मूल्य 25 [illegible] जनरल स्टाम्प
नाम अम्बिका मिश्र
द्वारा [illegible]

[illegible] Hmy [illegible]

ISSUED FR[illegible]
LUCKNOW TRE[illegible]
12 AP[illegible]
T.O. [illegible]
Luckn[illegible]

100Rs.

बीघा की दर से 5-0-2 की कीमत मुवल्लिग:1,80,180/=रूपये होती है । तथा भूमि सं0 1636/1 रकबा 0-18-18 व 1637/1 रकबा 0-5-4 कुल 1-4-2 जो कि हार एक आबी में स्थित है और जिसकी मालियत 30000/= प्रति बीघा की दर से मुवल्लिग:रू036150/= होता है इस प्रकार उपरोक्त भूमि की कुल कीमत मुवल्लिग:2,16,330/= रूपया होताहै। उपरोक्त भूमि में कुल 118 पेड़ हैं जिनमें आम के 45 पेड़ आयु20वर्ष एवं 5 पेड़ कटहल आयु करीब 18 वर्ष जिसकी मालियत मुवल्लिग:2000/= प्रति पेड़ के हिसाब से मु01,00,000/=होता है तथा 68 पेड़ आम के जिनकी आयु 4 वर्ष है जिसकी कीमत मुवल्लिग:68000/=रूपया होता है। कुल पेड़ों की कीमत मु01,68,000/=होता है। उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 1686 स्थित ग्राम उत्तरगांव प0निगोहां त0मोहन लालगंज जिला लखनऊ राजमार्ग पर स्थित है जो कि संलग्न सूची में अंकित सामान्य कृषि दर का 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है । पेड़ों की मालियत 168000/= पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क मु021000/= होता है तथा कृषि दर से 100प्रतिशत वृद्धि करते हुए मुवल्लिग: 54125/= तथा पेड़ों का स्टाम्प शुल्क 21000/= , कुल 75,200/= स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है । उक्त भूमि विक्रीशुदा का लगान58·20 है जिसके एक हजार गुनेके अनुसार 58200/=होता है।

-5

12-4-56
1008
[illegible]

[illegible]

100Rs.

लिहाजा यह विक्रय पत्र मैंने खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे। विक्रीत आराजी संयुक्त रूप से क्रय की जा रही है।

तफसील वसूलयाबी मु04,00,000/=जर समन मजकूर
==

बजरिये पे-आर्डर संख्या- बी एन/44 - 517271 दि012-4-1996-

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा चारबाग, लखनऊ, मु04,00,000/=(चारलाखरूपये) विक्रेता ने क्रेतागण से वसूल पाया।

लखनऊ
दिनांक: 15-4-96

विक्रेता --------------

गवाहनं01:--------------
पता

गवाहनं02:--
पता

टंकणकर्ता-
(पी0 के0 वर्मा) लखनऊ

मसविदाकर्ता-
(राम गोपाल त्रिपाठी)
एडवोकेट

12-4-96
100/-
अभिलेखा किया

Hmy

आज दिनांक 16.4.96 का फोटो स्टेट बही
संख्या I खण्ड 163 के
पृष्ठ 213/228 पर क्रम संख्या 578 पर
पंजीकृत किया गया।

उप निबन्धक
लखनऊ